( )

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
आदेश

संख्या–07 / विविध(मनी रसीद)–23–03 / 2018 **पटना, दिनांक–**

परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा मनी रसीद संख्या–0614901 से 0615000 JJ , दिनांक–04.06.2015 को एवं सीजर बुक संख्या–0018001 से 0018100 FF दिनांक–01.09. 2015 को पुलिस अधीक्षक यातायात, पटना को निर्गत किया गया था । पुलिस अधिक्षक यातायात, पटना द्वारा अपने पत्रांक–785 / गो0, दिनांक–16.04.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक–14.04.2018 के रात्री में भ्रमण के क्रम में बोरिंग रोड में उपर्युक्त निर्गत मनी रसीद संख्या 0614901 से 0615000 JJ , एवं सीजर बुक संख्या–0018001 से 0018100 FF कहीं गिर गया है। पुलिस अधिक्षक यातायात, पटना द्वारा यातायात थाना, गाँधी मैदान, पटना को निदेशित किया गया है कि इस संबंध में अविलंब सनहा दर्ज किया जाय।

उपर्युक्त मनी रसीद एवं सीजर बुक के दुरूपयोग होने की संभावना को देखते हुए उपर्युक्त मनी रसीद संख्या–0614901 से 0615000 JJ एवं सीजर बुक संख्या–0018001 से 0018100 FF तक को निर्गत होने की तिथि से रद्द किया जाता है। एवं सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त क्रम संख्या वाले मनी रसीद एवं सीजर बुक उपयोग किया जाना गैर कानूनी माना जाएगा।

ह0 / –
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ई–मेल ज्ञापांक– 3023 पटना, दिनांक– 4/5/18

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार / पुलिस अधीक्षक यातायात, पटना / सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार / सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार / सभी प्रवर्तन निरीक्षक / सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार / सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक यातायात, पटना से अनुरोध है कि इस मामले में दर्ज सनहा की प्रति अविलंब परिवहन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।